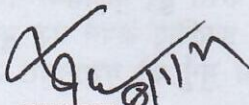
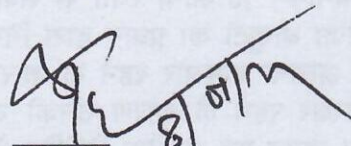
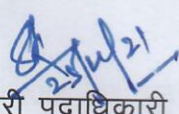


| आदेश की<br>क्रमांक एवं<br>तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | आदेश पर की<br>गई कार्यवाही |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 08/01/24                       | <p style="text-align: center;"><b>उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज ।</b></p> <p style="text-align: center;">आर0एम0ए0 वाद संख्या-17/2011-12</p> <p style="text-align: center;">होपना मुर्मू<br/>—बनाम—<br/>विरेन्द्र मुर्मू</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>प्रस्तुत वाद अपीलार्थी के द्वारा प्रधानी बहाली वाद सं0 247/2006-07 गुमदा मुर्मू —बनाम— 16 आना रैयत एवं अन्य मौजा-धौकुटी में दिनांक 29.09.2011 को विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा पारित आवेदन के विरुद्ध अपीलार्थी होपना मुर्मू की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.02.2012 को दाखिल की गई।</p> <p>दाखिल अपील आवेदन में अपने दावा का निम्नवत दशार्थ किया गया है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा निम्न न्यायालय में अपीलार्थी से समर्पित आवेदन, साक्ष्य स्वरूप दस्तावेजों में अंकित यथार्थता और स्थित को जनर अन्दाज करके बिना विचारण आदेश पारित किया गया है। जबकि निम्न न्यायालय में प्रधानी नियुक्ति हेतु दो आवेदन दिया गया था। 1. होपना मुर्मू कार्यवाहक प्रधान और 2. विरेन्द्र मुर्मू आवेदक थे, जिसमें अंचल अधिकारी, मंडरो द्वारा होपना मुर्मू के पक्ष में प्रतिवेदित है। प्रतिवेदन निम्न न्यायालय के संबंधित अभिलेख में उपलब्ध है। फिर भी विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-6 Sub Clause (iii) में अंकित “ The office of the headman being hereditary the next heir Who is fitted should be headman” पर विचार नहीं किये। अंचल अधिकारी, मंडरो के प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित है कि गुमदा मुर्मू बहाल प्रधान की मृत्यु पश्चात अपीलार्थी होपना मुर्मू कार्यवाहक प्रधान के रूप में ग्रामीणों एवं परिवार के सदस्यों की सहमति से कार्य सम्पादित किया जा रहा है। स्वयं नियुक्त प्रधान गुमदा मुर्मू द्वारा दिनांक 16.01.2007 को निम्न न्यायालय में समर्पित आवेदन में भी अपीलार्थी को अपने स्थान पर प्रधानी पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, मंडरो से प्राप्त प्रतिवेदन से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। इसके बाद दिनांक 06.02.2007 को गुमदा मुर्मू प्रधान की मृत्यु हो गयी और अपने पीछे पत्नी और पाँच पुत्र छोड़ गये। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के प्रधानी बहाली वाद सं0 247/2006-07 दिनांक 29.09.2011 के आदेश को अपास्त (Set-aside) करने एवं अपीलार्थी को मौजा धौकुटी के प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मौजा धौकुटी में निवास करने संबंधी दावा की पुष्टि हेतु कुल 20 (बीस) कागजातों की छाया प्रति सूचीबद्ध दाखिल की गयी है।</p> <p>निम्न न्यायालय द्वारा प्रधानी बहाली वाद सं0 247/2006 07 गुमदा मुर्मू —बनाम— 16 आना रैयत से संबंधित अभिलेख प्राप्त। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा धौकुटी का प्रधान द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन समर्पित करते हुए बतलाया गया कि वे अत्यन्त कमजोर रहने के कारण किसी कार्य में सक्षम नहीं हैं। इसलिए अपने बड़े पुत्र को निरक्षर रहने के कारण उनकी सहमति से अपने दूसरे पुत्र होपना मुर्मू को वंशानुगत आधार पर प्रधान पद के लिए नियुक्ति हेतु अनुरोध किये हैं।</p> <p>आवेदक महा मुर्मू के द्वारा अपने पिता बहाल प्रधान गुमदा मुर्मू की मृत्यु दिनांक 06.07.2007 को हो जाने संबंधी सूचना आवेदन समर्पित करते हुए दिया गया और ग्राम के 16 आना रैयतों की सहमति संबंधी शपथ दाखिल करते हुए प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>स्व0 गुमदा मुर्मू पूर्व प्रधान मौजा धौकुटी का तीसरा पुत्र विरेन्द्र मुर्मू के द्वारा भी</p> |                            |

| आदेश की क्रमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आदेश पर गई कार्यवाही |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                          | <p>प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आपत्ति आवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया कि आवेदक शिक्षित बेरोजगार है। बड़ा भाई निरक्षर है। मंझला भाई शिक्षक है तथा सरकारी वेतन मिल रहा है और उनकी शादी ग्राम बाँसकोला में घर जमाई हुई है। इसलिए ग्रामीणों का आपत्ति है कि होपना मुर्मू को ग्राम प्रधान नहीं बनाया जाय। इस हेतु आवेदक के द्वारा ग्राम प्रधान पद पर बहाल करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आवेदिका तालामय मरांडी पति स्व० गुमदा मुर्मू पूर्व प्रधान की पत्नी द्वारा प्रधान पद पर बहाली हेतु समर्पित आवेदन में दर्शाया गया कि उन्हें पाँच पुत्र 1. महा मुर्मू 2. होपना मुर्मू 3. विरेन्द्र मुर्मू 4. बटेना मुर्मू एवं 5. चुंडा मुर्मू है, जिसमें से चार पुत्रों द्वारा प्रधानी जमीन जोत लिया गया है। मुझे मूल घर से निकाल दिया गया है तथा मेरे भाई द्वारा दिया गया सम्पत्ति को बेच दिया गया है। मैं वर्तमान में अपने पुत्र होपना मुर्मू के साथ निवास कर रही हूँ। इसलिए अपने जीवित काल तक प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>सभी आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, मंडरो से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त आलोक में अंचल अधिकारी, मंडरो के पत्रांक 86/रा० दिनांक 18.04.2007 द्वारा निम्न न्यायालय को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित है कि वंशावली एवं संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गुमदा मुर्मू का बड़ा पुत्र महा मुर्मू प्रधान पद का दावेदार है। परन्तु जाँच के समय महा मुर्मू और उनकी माँ दोनों ने होपना मुर्मू की प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु समर्थन करते हुए अनापत्ति व्यक्त किया।</p> <p>आवेदक विरेन्द्र मुर्मू के लिखित बहस में और अंचल अधिकारी, मंडरो के प्रतिवेदन में अंकित है कि होपना मुर्मू पारा शिक्षक है। उनकी घर जमाई शादी हुई है और मौजा बाँसकोला में रहते हैं। मौजा धौकुटी में नहीं रहते हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट और बी०पी०एल० कार्ड मौजा बाँसकोला के नाम से निर्गत है। आवेदक के द्वारा होपना मुर्मू के नाम मौजा धौकुटी पंचायत पिण्डरा से निर्गत बी०पी०एल० कार्ड एवं साक्ष्य की छाया प्रति दाखिल की गई। इस प्रकार दोनों पंचायत में नाम अंकित है। वह मौजा बाँसकोला में रहता है। बाँसकोला के वोटर लिस्ट में भी नाम अंकित है। इसलिए आवेदक होपना मुर्मू का आवेदन निरस्त किया गया है।</p> <p>उपरोक्त कथन की पुष्टि उत्तरवादी द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं दस्तावेजों से भी होती है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार वा अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्रधानी बहाली वाद सं० 247/2006-07 गुमदा मुर्मू बनाम 16 आना रैयत में दिनांक 29.09.2011 को पारित आदेश यथावत (Up-held) रखा जाता है। पारित आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को वापस किया जाय। पारित आदेश से पक्षकारों को अवगत कराया जाय। इसी आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं रांशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="338 1765 587 1930" style="text-align: center;"> <br/> उपायुक्त,<br/>साहेबगंज। </div> <div data-bbox="960 1724 1311 1930" style="text-align: center;"> <br/> उपायुक्त,<br/>साहेबगंज। </div> </div> |                      |

| आदेश की क्रमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आदेश पर की गई कार्यवाही |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | <p>ज्ञापांक <u>265</u> / डी0बी0, साहेबगंज, दिनांक <u>25.11.21</u></p> <p>प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:- होपना मुर्मू, पे0-स्व0 गुमदा मुर्मू, सा0-धोकटी, बंगला, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।</p> <p>प्रतिलिपि:- बिरेन्द्र मुर्मू, पे0-स्व0 गुमदा मुर्मू, सा0-धोकटी, बंगला, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           प्रभारी पदाधिकारी,<br/>           जिला विधि शाखा,<br/>           साहेबगंज।         </p> |                         |